लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के कार्यक्रमों की समीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग ने समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान करना था । दिनांक 31-3-2012 तक पूंजीगत निधि के रूप में रु.12.5 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी । इससे ब्याज की आय और एन.सी.सी.डी. द्वारा प्रशासित सेवाओं के लिए फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई है कि इसमें सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

वित्त-वर्ष 2011-12 (दिनांक 27-1-2011 से दिनांक 31-3-2012 की अवधि के लिए) के पहले खातों की वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स उमेश बाबू अग्रवाल द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी । वित्त वर्ष 2011-12 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

मद	रुपए लाख में
ब्याज तथा अन्य से आय	12.34
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	00.38
व्यय से अधिक आय	11.96
घटाएं: आयकर का प्रावधान	3.24
जनरल रिजर्व से अंतरित शेष	8.72
कुल	11.96

एन.सी.सी.डी. ने वर्ष 2011-12 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकरण के बाद वर्ष के दौरान कोई कार्य नहीं किया। इस अवधि में श्री बिजय कुमार, एम.डी.-एन.एच.बी. को दिनांक 1-4-2011 से दिनांक 21-3-2012 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी. के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। दिनांक 09-02-2012 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद श्री शैलेंद्र कुमार निदेशक(कृषि और सहकारिता विभाग) को दिनांक 21-3-2012 को एन.सी.सी.डी. के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था । एन.सी.सी.डी. में कोई अन्य जनशक्ति(मैनपॉवर) नहीं थी।

एन.सी.सी.डी. की कार्यकारिणी में सचिव(कृषि और सहकारिता विभाग) की अध्यक्षता में 8 सदस्य शामिल थे। शासी परिषद में अध्यक्ष के रूप में सचिव(कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन 14 सदस्य शामिल थे।

गतिविधियों एवं उपलब्धियों की समीक्षा

अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अगुवाई में एक कार्यदल(टास्क फोर्स) ने अगस्त, 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और कोल्ड-चेन विकास में विभिन्न जटिलताओं का आकलन किया । कार्यदल(टास्क फोर्स) की सिफारिश के अनुसार एन.सी.सी.डी की स्थापना की गई थी ।

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था। दिनांक 09-02-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु. 25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान करना था । दिनांक 31-3-2012 तक पूंजीगत निधि के रूप में रु.12.5 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी । इससे ब्याज की आय और एन.सी.सी.डी. द्वारा प्रशासित सेवाओं के लिए फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई है कि इसमें सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटीयों, जिनको रु 50.00 लाख और उससे अधिक एकमुश्त सहायता / गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त हुआ है, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अन्दर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए। इस प्रकार एनसीसीडी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे दिसंबर, 2012 तक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे। हालाँकि, वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 13.12.2017 को एनसीसीडी द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

एनसीसीडी के एम. ओ. ए. के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को एनसीसीडी की गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गवर्निंग काउंसिल ने 21.12.2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को अनुमोदित किया। तत्पश्चात वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों का अनुवाद किया गया और मुद्रित किया गया जिसमें कुछ समय लगा।

इसलिए, सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने में देरी हुई है। कृपया विलम्ब के लिए क्षमा करें।